संख्या:– 2989/उन्तीस/04–2(01पे0)/2003

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक: 11 जनवरी, 2005

विषय जनपद चमोली के अन्तर्गत आदर्श कालोनी एवं पठालधार क्षेत्र गोपेश्वर सीवरेज योजना भाग–1 की प्रशासकीय/वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 4388/जलोत्सारण/ दिनांक–04.12.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत आदर्श कालोनी एवं पठालधार क्षेत्र गोपेश्वर सीवरेज योजना भाग–1 के अनु0लागत रू0 99.84 लाख के प्राक्कलन का परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 97.88 लाख (रू0 सत्तानबे लाख अठठासी हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने तथा प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश संख्या 767/नौ–2–(01पे0)/2003, दिनांक 30 मार्च, 2003 द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु अवमुक्त रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमश:..2

(5) उक्त योजनाओं हेतु शासनादेश दिनांक 30.03.2003 द्वारा अवमुक्त रू0 10.00 लाख की धनराशि का पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेंगी।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निर्माण विभाग/उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(10) निर्माण कार्यों हेतु सेन्टेंज चार्जेज वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुसार लिया जायेगा जो कि किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यदि इससे अधिक सेन्टेज चार्जेज लिया जाता है तो यह वित्तीय अनियमितता होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(11) योजना के कार्य स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायें तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित लागत मान्य नहीं होंगी। कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एंव मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2288/वित्त अनु0-3/2004 दिनांक 03.01.2005 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश:-3-

संख्या– 2989(1)/उन्तीस/04–2(01पे0) 2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार,, उत्तराचंल देहरादून ।
2 अधिशासी अभियन्ता ,निर्माण शाखा (गंगा) उत्तराचंल पेयजल निगम,श्रीनगर गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटौतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें ।
3 मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल ।
4 जिलाधिकारी, चमोली ।
5 मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
6 निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री ।
7 वित्त अनुभाग–3/ नियोजन प्रकोष्ट ।
8 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव